मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 2678-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, दिनांक 02 जुलाई, 2004 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 (2004 का जी-7) में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन

1. **प्रस्तावना.**—1.1 राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों द्वारा राज्य परामर्श दात्री समिति की बैठकों एवं समिति के सदस्यों

को शुल्क के संबंध में कठिनाईयों का अनुभव किया गया है. आयोग द्वारा समिति के सदस्यों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु यह संशोधन किया गया है.

2. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता की सीमा तथा प्रारंभ.—2.1 यह विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन) [2004 का एजी-7(i)]''**

2.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

2.3 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.

3. धारा 5 एवं 6 में संशोधन.—मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 की धारा 5 एवं 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''5. बैठक की कार्यवाहियां :

(2) समिति प्रत्येक तीन माह में अथवा ऐसी समयावधि में जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्धारित करें, एक बैठक आयोजित करेगा.

''6. राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों को शुल्क एवं भत्ते :

(1) पदेन सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों को प्रति बैठक ऐसे शुल्क जैसा-जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्धारित करें, की पात्रता होगी.''

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव,

Bhopal, Dated 5th October 2010

No. 2678-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred under Section 87 read with Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to the Regulation, namely Madhya Pradesh Regulatory Commission (Constitution of State Advisory Committee and its Functioning) Regulation, 2004 (G-7 of 2004) which was notified on 2nd July, 2004.

FIRST AMENDMENT TO MPERC (CONSTITUTION OF STATE ADVISORY COMMITTEE AND ITS FUNCTIONING) REGULATION, 2004

1. Preamble.—1.1 Some of the Members of the State Advisory Committee have expressed difficulties in Proceedings of the Committee and Fees paid to them. To obviate the difficulties of the SAC Members, the Commission has made this Amendment.

2. Short title and commencement.—2.1 These Regulations shall be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulation, 2004 (First Amendment) {AG-7(i) of 2004}".**

2.2 These Regulations shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

3. Amendment to Regulations 5 and 6.—In the **MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its Functioning) Regulation, 2004,** the following shall be substituted in Clauses 5(2) and 6(1) namely :—

"5. Proceedings of the Committee :

(2) The Committee shall meet once in every three months or at such time intervals as may be decided by the Commission from time to time.

6. Honorarium and allowance for Members of the State Advisory Committee :

(1) Members of the Committee other than Ex-officio Members shall be entitled to such honorarium per sitting as may be decided by the Commission from time to time.".

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.